छत्तीसगढ़ शासन

संस्कृति विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2001 – 2002

रायपुर

2002

छत्तीसगढ़ शासन

संस्कृति विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2001 – 2002

रायपुर

2002

संस्कृति विभाग

पुरातत्व एवं संस्कृति संचालनालय

विभाग का नाम	संस्कृति विभाग
प्रभारी मंत्री	श्री धनेन्द्र साहू ,राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
प्रमुख सचिव	डा. के. के. चक्रवर्ती
उप सचिव	श्री जयसिंह म्हस्के

विभागाध्यक्ष

संचालक, पुरातत्व एवं संस्कृति	श्री प्रदीप पंत

पुरातत्व एवं संस्कृति

संस्कृति विभाग– एक परिचय

संस्कृति विभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश की संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व का संवर्धन तथा उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य करना है । संस्कृति विभाग, मुख्यतः संस्कृति से संबंधित नीतिगत कार्यो, साहित्य एवं कला के विकास, पुराने अभिलेखों के संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण तथा संग्रहालयों के विकास से जुड़ा है । इसके साथ ही शासकीय कार्य में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने एवं उसके विकास से संबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त जिला गजेटियर्स के प्रकाशन का कार्य भी करता है । इसके अतिरिक्त सिनेमा अधिनियम के अंतर्गत नये सिनेमा घरों को लाइसेंस देना भी विभाग की एक प्रमुख गतिविधि है ।

विभाग अशासकीय संस्थाओं/कलाकारों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें राज्य की मुख्य सांस्कृतिक धारा में जोड़ने हेतु अनुदान उपलब्ध कराता है, साथ ही अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा प्रतिभाशाली एवं प्रतिष्ठित विद्वानों को अलंकृत भी करता है । विभाग, संस्कृति के प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण हेतु विविध उत्सवों, व्याख्यान, गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करता है । इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य शासन द्वारा घोषित नयी संस्कृति नीति 2001 का पोषण एवं संवर्धन करना है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति का समग्र एवं समुचित रूप से विकास हो सके ।

संस्कृति नीति 2001

राज्य शासन द्वारा संस्कृति नीति 2001 घोषित की गई जिसके अंतर्गत विभाग की गतिविधियों को अब एक नया आयाम दिया जा रहा है । संस्कृति नीति में सांस्कृतिक उद्देश्यों की परिकल्पना पर ज्यादा जोर दिया गया है । राज्य की कोई विशेष या औपचारिक नीति के स्थान पर परम्पराओं एवं मान्यताओं का समावेश एवं उनका पोषण एवं संवर्धन करना है । राज्य अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय परंपराओं के आधार पर संस्कृति को परिभाषित करेगा । राज्य समुदायों के अंतर्पारस्परिक संबंधो को बनाये रखने एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा, इसे अतिरिक्त सीमावर्ती पड़ोसी राज्यों के, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सांस्कृतिक संबंधों की नये परिपेक्ष्य में व्याख्या की जायेगी ।

राज्य की बोलियों को प्रोत्साहन देने हेतु लिपियां विकसित की जायेगी एवं विश्व की दूसरी बोलियों, समुदायों के मध्य संबंधों को प्रोत्साहित किया जायेगा । सबसे विशिष्ट तत्व यह होगा कि संस्कृति के ज्ञान का संचयन एवं उसका उपयोग समग्र रूप से एक सतत प्रकिया के रूप में देखा जाये । राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं फैली हुई विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं को एक सूत्र में बांधने हेतु एक अतःसंकायी समिति का निर्माण किया जायेगा जिसमें विभिन्न कलाओं एवं संकायों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों का समावेश होगा । स्मारकों का संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा नई नीति का विशिष्ट अंग होगा । राज्य को एक जीवंत संग्रहालय की नई परिकल्पना में रखकर विभिन्न समुदायों की संस्कृति का नये रूप में प्रस्तुतिकरण नयी नीति का एक प्रमुख भाग होगा । इसके अतिरिक्त समुदायों के जैव सांस्कृतिक तत्व तथा उनके मध्य परिवेशीय अंतःसंबंध को एक नया आयाम देते हुये यह प्रयास किया जाएगा कि संस्कृति को संपूर्ण रूप से एक तत्व मानकर, उसका संवर्धन एवं परिवर्धन, शोध–संगोष्ठी एवं विभिन्न उत्सवों के माध्यम से संस्कृति के निरंतर प्रवाह को बनाये रखना ही नयी संस्कृति नीति का सार होगा ।

प्रशासकीय प्रतिवेदन

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय , राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय कार्यरत हैं ।

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नवम्बर 2000 में होने के पश्चात् इस संचालनालय को स्थापित किया गया है । इस संचालनालय का मुख्य कार्य प्रदेश भर में विस्तृत पुरासंपदा का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, छायांकन, संकलन, संरक्षण, प्रदर्शन, उत्खनन एवं अनुरक्षण करना है , साथ ही नये संग्रहालयों की स्थापना कर जन सामान्य एवं शोधार्थियों में पुरातत्वीय संपदा के प्रति जागृति पैदा करना है । इसके अतिरिक्त स्मारकों के अनुरक्षण, महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की प्रतिकृतियों का निर्माण, स्मारकों का संरक्षण, प्रदर्शन एवं संगोष्ठियों का आयोजन, आदिवासी लोककला संस्कृति एवं प्राचीन परम्पराओं का संरक्षण एवं संधारण, नवीन खोजों एवं उपलब्धियों का प्रकाशन तथा राज्य अभिलेखागार के अन्तर्गत ऐतिहासिक अभिलेखों को एकत्रित कर उसका संरक्षण एवं संवर्धन कार्य भी विभागीय उद्देश्यों में सम्मिलित है । छत्तीसगढ़ राज्य कायम होने के पूर्व रायपुर में यह कार्यालय एक क्षेत्रीय उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के रूप में कार्यरत था, किन्तु अब इसे संचालनालय का दर्जा प्राप्त हुआ है । इसके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 स्थलों पर संग्रहालय है । प्रदेश के इस विभाग के अधीन 56 राज्य संरक्षित स्मारक है ।

अभिलेखागार प्रभाग को छत्तीसगढ़ राज्य में पुरातत्व के अन्तर्गत ही स्थापित किया गया है । अभी इसका कार्यालय रायपुर राजधानी में ही स्थापित करने की योजना है ।

वर्तमान में संचालनालय में स्वीकृत अमले का विवरण

कमांक	कार्यालय का नाम	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
1	पुरातत्व संग्रहालय राजभाषा एवं संस्कृति	2	7	42	60	111
	योग	**2**	**7**	**42**	**60**	**111**

टीपः– प्रावधिक रूप से प्राप्त 35 पदों में से संचालक एवं लेखा अधिकारी का पद भरा गया है ।

पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय बजट प्रावधान की जानकारी

(दि. 1–04–2001 से दि. 31–3–2002 के लिए)

(आकड़े लाख रूपयों में)

कमांक	योजना का नाम	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5
लेखा शीर्ष – 2205				
1	103 – पुरातत्व	60.91	89.35	150.26
2	104 – अभिलेखागार	11.17	2.00	13.17
3	105 – सार्वजनिक पुस्तकालय	0	6.00	6.00
4	107 – संग्रहालय	29.58	45.00	74.58
	योग	**101.66**	**142.35**	**244.01**

1. उत्खनन एवं सर्वेक्षण –

अ. उत्खनन – प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं पुरासंपदा को उजागर करने के लिये सिसदेवरी जिला रायपुर में मलबा सफाई / उत्खनन कार्य वर्ष 2001–02 में प्रस्तावित है । उक्त कार्य की स्वीकृति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली से प्राप्त हो चुकी है । औपचारिकताए पूर्ण कर उत्खनन का कार्य आरंभ किया जा रहा है ।

ब. सर्वेक्षण – वर्ष 2001–2002 में रायपुर जिले के देवभोग तहसील का ग्रामवार सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा रहा है । देवभोग तहसील, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा सीमा पर स्थित है । अतः उक्त सर्वेक्षण से विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के समन्वय और परस्पर प्रभाव जनित लक्षणों से युक्त पुरासंपदा के प्राप्त होने की संभावना है, जिससे अंतर्राज्यीय संबंधों को एक नयी दिशा प्राप्त हो सकेगी ।

2. अनुरक्षण सेल –

संस्कृति नीति के **बिन्दु क्रमांक 13** के अनुसार स्मारकों के संरक्षण के साथ साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भूदृश्यों को सुरक्षित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य किये गए । वर्ष 2001–02 के दौरान निम्नलिखित स्थलों पर अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है –

1. **शिव मंदिर गुमड़ापाल (बस्तर)** :– शिव मंदिर गुमड़ापाल (जगदलपुर) में उक्त स्मारक का मरम्मत कार्य कराया गया, इसके अतिरिक्त मंडप के फर्शीकरण का कार्य प्रगति पर है ।
2. **मड़वा महल, कवर्धा** :– पूर्व के अधूरे जीर्णोद्धार कार्य को पूर्ण किया जा रहा है ।
3. **संरक्षित स्मारक किरारीगोढ़ी, बिलासपुर** :– पूर्व में किए गए चरणबद्ध कार्य को इस साल पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें मंदिर के अधोभाग का मरम्मत कार्य एवं शेष बचे मंदिर की ऊपरी दीवारों को उतारकर पुनः सुरक्षित रूप से जमाना एवं वायर फेंसिंग के साथ प्रतिमाओं के प्रदर्शन का कार्य पूर्ण किया जा रहा है ।
4. **शिवमंदिर, गनियारी, बिलासपुर** :– संरक्षित स्मारक शिव मंदिर गनियारी में नींव के मजबूतीकरण हेतु स्मारक के आस पास फर्शीकरण एवं पत्थरों से निर्मित दीवारों का कार्य आरंभ किया जा रहा है ।
5. **महंत घासीदास संग्रहालय, रायपुर** :– महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के उन्नयन कार्य के अंतर्गत शिलालेख हेतु पैडस्टल निर्माण शिलालेख दीर्घा का निर्माण कार्य किया जा चुका है एवं चौकीदार क्वाटर्स का निर्माण, उद्यान का सौन्दर्यीकरण, पाथ वे एवं सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।
6. **संरक्षित स्मारक कुकुरदेउल मंदिर दुर्ग** :– इस संरक्षित स्मारक के जीर्णोद्धार हेतु फर्शीकरण एवं मंदिर पर सांस्कृतिक पटल लगाना आदि कार्य प्रगति पर है ।
7. **देवरानी जेठानी मंदिर ताला बिलासपुर** :– संरक्षित स्मारक बिलासपुर में विभाग में पदस्थ केयरटेकर्स (चौकीदार) के निवास हेतु दो चौकीदार क्वाटर्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

3. रासायनिक संरक्षण कार्य

वर्ष 2001–02 के दौरान भोरमदेव मंदिर कवर्धा में स्मारक एवं प्रतिमाओं का रासायनिक संरक्षण कार्य एवं महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर की प्रतिमाओं का रासायनिक संरक्षण कार्य संपादित किया जा रहा है ।

4. फोटोग्राफी सेल –

संस्कृति नीति के **बिन्दु क्रमांक 3** के तारतम्य में राज्य द्वारा अभिलेखीय एवं गैर अभिलेखीय परंपराओं के दस्तावेजीकरण तथा अमूर्त परंपराओं के संकलन की श्रृंखला में छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्मारकों, कलाकृतियों, उत्खनन, सर्वेक्षण में भू – धरातल पर पड़े पुरासंपदा तथा संग्रहालयों में संग्रहित कलाकृतियों का छायांकन विभागीय तौर पर करने की व्यवस्था इसमें रहती है । विभाग द्वारा फोटोग्राफी प्रकाशन एवं माडलिंग शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये –

वर्ष 2001–02 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शित करने हेतु एवं पुरातात्विक महत्व की सामग्री के संबंध में एक प्रदर्शनी का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2001 के अवसर पर किया गया । इसके अतिरिक्त गुरू घासीदासजी के जन्म, शिक्षाओं एवं इतिहास से संबंधित विभिन्न प्राचीन स्थलों पर जाकर फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया गया एवं इसकी विडियो फिल्म का भी निर्माण किया गया एवं गुरू घासीदासजी के जन्म दिवस पर प्रदर्शनी का आयोजन राजधानी रायपुर, तोरला एवं चक्रवाय में किया गया । 11वें वित्त आयोग के अंतर्गत पुरातत्वीय महत्व के स्थलों के विस्तृत चित्रण एवं फिल्मांकन की योजना है ।

5. प्रकाशन खण्ड –

इस योजना के अतंर्गत विभागीय शोध पत्रिका "पुरातन " पुरातात्विक सर्वे रिपोर्ट का प्रकाशन संग्रहालय की मार्गदर्शिका एवं फोल्डर्स का प्रकाशन पोस्टर फोलियों तथा पिक्चर पोस्ट कार्ड का प्रकाशन आदि कार्य किये जाते है । वर्ष 2001–02 के दौरान **"भोरमदेव मार्गदर्शिका"** प्रकाशित हो चुकी है । वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2001 के अवसर पर पुरस्कार वितरण एवं महापुरूषों के जीवन को दर्शाने वाली विवरणिका का प्रकाशन किया गया । छत्तीसगढ़ी त्रैमासिक पत्रिका **"बिहनिया"** के प्रकाशन का कार्य भी प्रगति पर है एवं पुरानी पांडुलिपियों के प्रकाशन की भी योजना है । इसके अतिरिक्त गणतंत्र दिवस 2002 के अवसर पर विवरणिका का प्रकाशन किया गया एवं लोक कलाओं पर भी ब्रोशर निकाला गया।

6. माडलिंग प्रकोष्ठ –

इस योजना के अन्तर्गत जनसामान्य में सांस्कृतिक धरोहर के प्रति रूचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश की चुनी हुई महत्वपूर्ण प्रतिमाओं की प्रतिकृतियां प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं फाइवर ग्लास से विभागीय स्तर पर तैयार की जाती है । वर्ष 2001–02 के दौरान लक्ष्य के अनुरूप तीन नग मोल्ड का निर्माण किया गया एवं प्लास्टर कास्ट प्रतिकृतियों का निर्माण किया गया । इसके अतिरिक्त नृत्य गणेश (छोटा) मंजुश्री (प्रस्तर प्रतिमा) छोटे आकार में चँवर धारणी नायिका की प्रतिकृतियों के निर्मित मोल्ड से प्लास्टर कास्ट, बनाये जा रहे है । साथ ही शिल्पियों के माध्यम से प्राचीन, लुप्त प्राय कला के माडल बनाने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं ।

7. मेला/उत्सव/प्रदर्शनी –

संस्कृति नीति के **बिन्दु कमांक 1, 4 एवं 14** के अंतर्गत राज्य अस्तित्वमान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले उत्सवों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों के सामुदायिक एवं जैव सांस्कृतिक इतिहास संबंधी कार्य, समुदायों के जैविक कार्य और भौतिक परिवेशीय अंतर्संबंध के संदर्भ में विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायेगा । विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

1. छत्तीसगढ़ संस्कृति के बहुविविध आयामों पर भाषा, लोक गीत, लोक नृत्य, साहित्य, मौखिक साहित्य, पुरातत्व, पर्यटन, वन, पारिस्थतिकीय, पर्यावरण, जैव विविधता, नृतत्व, अभिनय, शास्त्रीय संगीत आदि पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ विद्वान तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार का आयोजन अप्रैल 2001 में किया गया ।
2. दिसम्बर 2001 में गुरू घासीदास जयंती पर्व के अवसर पर गुरू घासीदासजी से संबंधित स्थानों पर जा कर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी का कार्य किया गया तथा 18 दिसम्बर 2001 को महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में गुरू घासीदासजी से संबधित फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफ की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । माह के उत्तरार्ध में ग्राम तोरला (अभनपुर) में 27 दिसम्बर को गुरू घासीदासजी से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा 28 से 31 दिसम्बर 2001 तक ग्राम चकवाय (दुर्ग) में भी उक्त प्रदर्शनी को पुनः आयोजित किया गया ।

8. संग्रहालय –

संस्कृति नीति के **बिन्दु कमांक 13** के अंतर्गत राज्य केवल स्मारकों को ही संरक्षण प्रदान नही करेगा वरन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भूदृश्यों, पुरावशेषों को विश्व धरोहर स्मारक के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्थापित संग्रहालयों का संधारण किया जाता है जिसके अन्तर्गत नवीन संग्रहालयों की स्थापना संग्रहालयों का पुनर्गठन, संग्रहालयों में प्रदर्शनी एवं विकास का कार्य किया जाता है । वर्ष 2001–02 के दौरान रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में प्राचीन प्रतिमाओं को खुली जगह में प्रदर्शित करने हेतु स्थापित कर प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है । स्थान की कमी की वजह से संग्रहालय के लिए पुराने भवन का विस्तार किया जा रहा है एवं प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य चालू वर्ष के दौरान प्रगति पर है । अप्रदर्शित पुरासम्पदा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संग्रहालय परिसर में स्टोर का निर्माण किया जा रहा है ।

9. अनुदान –

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में स्थापित जिला पुरातत्व संघों को पुरासंपदा की सुरक्षा एवं प्रदर्शन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है । इस प्रदेश के अधीन वर्तमान में रायगढ़ एवं राजनांदगांव दो पुरातत्व संघ है । वर्ष 2001–02 के दौरान दोनो संघों को अनुदान दिया गया वर्षात तक राज्य के तीन जिलों धमतरी, कांकेर, एवं महासमुन्द में पुरातत्व संघों के गठन की औपचारिकतायें पूर्ण की जा चुकी है एवं शेष जिलों में जिला पुरातत्व संघो के गठन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं व अधिकांश जिलों में गठन की प्रकिया प्रगति पर है ।

10. अभिलेखागार प्रभाग–

छत्तीसगढ़ राज्य कायम होने के पश्चात् अभिलेखागार का कार्यालय इस राज्य में स्थापित करने हेतु कार्यवाही जारी है जिसका नवीन सेट–अप विचाराधीन है । अभिलेखागार का मुख्य कार्य ऐतिहासिक अभिलेखों का संकलन एवं वैज्ञानिक पद्धति से उनका संरक्षण करना है ।

इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं को शोध कार्यों में सहायता एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है । पुराने दस्तावेजों को एकत्रित कर अभिलेख कक्षों में उसे वर्षवार कमानुसार जमाया जाता है । इसके तहत म. प्र. शासन से छत्तीसगढ़ रियासतों के अभिलेखों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है । अभिलेखागार हेतु भूमि आवंटन प्रकरण कलेक्टर रायपुर की ओर विचाराधीन है ।

सामान्य प्रशासनिक विषय –

शासन की कल्याणकारी नीतियों का आम जनता तक प्रवाह सुनिश्चित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर्मचारी कल्याण अभियान के अन्तर्गत कार्य करने की योजना तैयार की जा रही है । राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, अराजपत्रित सेवा तृतीय श्रेणी तथा अराजपत्रित चतुर्थ सेवा श्रेणी भरती नियम भी तैयार करने की पहल की जा रही है ।

राजभाषा एवं संस्कृति –

इस संचालनालय द्वारा राजकाज में हिन्दी भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने अंग्रेजी भाषा के प्रतिवेदनों और दस्तावेजों के हिन्दी अनुवाद करने और प्रदेश के जिलों की महत्वपूर्ण एवं समग्र जानकारी गजेटियर के रूप में संकलित करने के साथ–साथ साहित्य एवं प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाता है । विभाग साहित्य–सांस्कृतिक और कला क्षेत्र में कार्यरत स्वायत्तशासी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 2001–02 के दौरान राज्य शासन द्वारा नई संस्कृति नीति 2001 की घोषणा की गयी जिसके अंतर्गत राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपरा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिससे राज्य में जनजातीय रहन सहन तौर तरीके, रीति रिवाज, लोक नृत्य, गायन एवं अन्य परंपराओं को बनाये रखने का प्रयास किया जायेगा एवं इसके लिये विभाग द्वारा वर्ष 2001–2002 के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किये गये या उनको सहयोग प्रदान किया गया । वर्ष 2001–02 के दौरान 32 संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराया गया एवं 13 पर कार्यवाही चल रही है एवं 23 अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को अनुदान (पेंशन) स्वीकृत किया गया है ।

राजभाषा एवं संस्कृति म. प्र. शासन में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालनालय था किन्तु छत्तीसगढ़ शासन में इसे पुरातत्व, अभिलेखागार, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय के रूप में स्थापित किया गया है । राजभाषा एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत " पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी " सृजन पीठ स्थापित है जिसको चालू वर्ष में अनुदान दिया गया ।

वर्ष 2001–2002 हेतु विभाग को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की स्थिति

कमांक	योजना का नाम	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
1	2	3	4	5
लेखा शीर्ष – 2202 –2205–3454		(आकड़े लाख रूपयों में)		
1	2202 आधुनिक भारतीय भाषा (102) और साहित्य का संवर्धन	20.60	3.00	23.60
2	2205 कला और संस्कृति का संवर्धन (800) अन्य व्यय	22.20	18.00	40.20
3	3454 नगणना सर्वे एवं सांख्यिकी (110) गजेटियर	0	5.00	5.00
	योग	**42.80**	**26.00**	**68.80**

राजभाषा एवं संस्कृति का मुख्य लक्ष्य हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना तथा संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विभाग द्वारा मैन्युअल , नियमावलियों, गजेटियर , प्रतिवेदन आदि का अनुवाद कराया जाता है । समय–समय पर अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी प्रशासन शब्दकोष भी प्रकाशित किये जाते हैं । नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रचलन में लाने के लिए कार्ययोजना शासन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है । इसी के साथ ही यह विभाग समारोह /प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है ।

संस्कृति नीति 2001 के **बिन्दु कमांक 1,4, एवं 7** के अंतर्गत समुदायों की अबाध सांस्कृतिक परंपराओं की पहचान कर उन्हे मान्यता देना, पुर्नजीवित करना, दस्तावेजीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं उनका प्रचार–प्रसार है । इसके अतिरिक्त राज्य नयी संस्थाओं/उत्सवों को प्रस्थापित करने के बजाय अस्तित्वमान पृष्ठभूमि वाले उत्सवों/संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा जिससे संस्कृति में अंतः संकायी संवाद कायम रहे । इसी तारतम्य में विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गये या उन्हें सहयोग प्रदान किया गया –

1. लोक मंड़ई उत्सव, जिला राजनांदगांव (25 से 27 मई 2001) को उत्सव हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया ।
2. छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य, 'नाचा' के प्रस्तुतिकरण एव अभिनय में निखार लाने के लिए प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री हबीब तनवीर के निर्देशन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में माह जुलाई 2001 में एक कार्यशाला आयोजित की गई ।
3. विधानसभा रायपुर में शिल्पकारों की कार्यशाला का आयोजन (दिनांक 7 से 17 जुलाई 2001) विधानसभा सचिवालय के सहयोग से विभाग द्वारा किया गया ।
4. चक्रधर समारोह, रायगढ़ (22 से 31 अगस्त 2001) के आयोजन हेतु कलेक्टर रायगढ़ को अनुदान उपलब्ध कराया गया ।
5. विलुप्त होते राउत नाचा के लिये रायगढ़ में अक्टूबर 2001 में 'राउत नाचा' का आयोजन किया गया ।

6. 1 नवम्बर 2001 को छत्तीसग़ढ़ राज्य के प्रथम स्थापना दिवस पर राज्योत्सव 2001 समारोह का आयोजन किया गया । संस्कृति विभाग का यह वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन रहा । राज्य स्थापना दिवस समारोह में राज्य शासन द्वारा स्थापित 11 सम्मान प्रदान किये गये । राज्योत्सव 2001 में दिनांक 1 से 7 नवम्बर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें राज्य भर के प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की इसके साथ ही मेला स्थल पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया । इसी तारतम्य में दि. 19 नवम्बर 2001 को नई दिल्ली में "छत्तीसगढ की परिकल्पना 2010" के नाम से एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें नवीन राज्य के विकास हेतु एक महत्वाकांक्षी दूरगामी योजना का प्रारूप तय किया गया । इसके अतिरिक्त दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2001 तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया । इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस आयोजित किया गया ।
7. गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में प्रदर्शित की जाने वाली प्रतिकृतियो के निर्माण हेतु धातु शिल्पियों की कार्यशाला का आयोजन जनवरी 2002 में किया गया । कलाकारों द्वारा निर्मित प्रतिकृतियों का वितरण गणतंत्र दिवस 2002 के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में किया गया ।
8. जिला बिलासपुर में मल्हार उत्सव का आयोजन जनवरी 2002 विभाग के सहयोग एवं अनुदान से किया ज रहा है ।

संस्कृति नीति 2001 के **बिन्दु कमांक 2** के अंतर्गत राज्य शास्त्रीय, लोक जनजातीय परिदृश्य महानगरीय एवं ग्राम्य कलारूपों में भेद नही करेगा एवं उनके मध्य संतुलन बनाये रखने का प्रयास करेगा । इसी क्रम में विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यो में सहयोग प्रदान किया गया ।

1. श्री हबीब तनवीर, नया थियेटर, भोपाल के निर्देशन में कलाकारों को विदेश भेजे जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया (मई 2001) ।
2. 15 अगस्त 2001 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या 'हमर राज, हमर सुराज' का आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से किया गया ।

संस्कृति नीति 2001 के **बिन्दु कमांक 5,6, एवं 8** के अंतर्गत राज्य समुदायों के मध्य पारंपरिक संबंधों को बनाये रखने एवं उसको विकसित करने में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा । राज्य प्रयास करेगा कि समुदायों के मध्य संस्कृति पोषित एवं विभूषित होती रहे, इसके लिये संस्कृति विभाग अन्य विभागों को इस कार्य हेतु जोड़ने का प्रयास करेगा कि शासन के समस्त विभागों की गतिविधियों में संस्कृति को एक अनिवार्य अंग बनाया जाये । इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जायेगा कि विकास परियोजनाओं के साथ संस्कृति का सामंजस्य बनाये रखा जाये । इसी क्रम में विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम आयोजित करने में अपना सहयोग प्रदान किया गया –

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयोजित नाटक 'शतरूपा' के मंचन (मई 2001) में विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया गया ।
2. रामगढ़ उत्सव सरगुजा में "आषाढ़स्य प्रथम दिवसे" नाटक का मंचन जून 2001 में किया गया ।
3. गणतंत्र दिवस समारोह 2002 का आयोजन किया गया।

क. झांकीयॉ – संस्कृति विभाग द्वारा दिनांक 26जनवरी 2002 को समारोह संपन्न किया गया । 26 जनवरी 2002 को प्रात: गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा तैयार की गयी झांकियों के प्रदर्शन का आयोजन विभाग द्वारा किया गया । झांकियों का मुख्य विषय "छत्तीसगढ़ की परिकल्पना 2010" था । इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा अलग अलग अंचलों की सांस्कृतिक विरासत की झलक छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुत की गयी ।

ख. सांस्कृतिक संध्या 26 जनवरी 2002 को सायं सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा की गयी ।

संस्कृति नीति 2001 के **बिन्दु कमांक 9 एवं 14** के अंतर्गत राज्य बोलियों एवं लिपियों का विकास करने का प्रयास करेगा एवं विशेष कर समीपवर्ती राज्यो एवं विश्व परिपेक्ष्य में इस संबंध में होने वाले परिवर्तनों को अद्यतन करने का प्रयास करेगा । इसके अतिरिक्त संस्कृति के अनिवार्य तत्व के रूप में विलुप्त होती कलाओं/परंपराओं/वाद्य यंत्रों आदि संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु प्रयास करेगा । इस संबंध में विभाग द्वारा निम्नलिखित आयोजन किये एवं इनमें सहयोग प्रदान किया ।

1. साक्षरता के महत्व तथा आवश्यकता को स्वीकार करते हुये संस्कृति विभाग के द्वारा यूनेस्को, नेशनल रिसोर्स सेन्टर, मसूरी एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला "लिट्रेसी फार इंडिजिनस पिपुल" (दिनांक 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2001) में उपस्थित देश विदेश से आमंत्रित विद्वानों को संग्रहालय का अवलोकन कराया गया तथा साक्षरता पर परिचर्चा एवं लोक कला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
2. रिखी राम क्षत्रिय लोक कलाकार भिलाई को दुर्गम लोक वाद्यो के संरक्षण हेतु सहायता प्रदान की गई ।
3. सांस्कृतिक विकास मंडल जांजगीर को संगीत विद्यालय के लिए वाद्य यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया ।

संस्कृति नीति 2001 के **बिन्दु कमांक 10 एवं 19** के अंतर्गत संस्कृति को एक निरंतर चलने वाली प्रकिया के रूप में देखा जायेगा एवं संस्कृति को एक वस्तु न मानकर जीवन के निरंतर प्रवाह की तरह गतिशील एवं परिर्वतनशील प्रकिया माना जायेगा । एवं इसको संरक्षित रखने हेतु शोध, शिक्षण, समीक्षा, उपचार, प्रकाशन तथा समर्थन दिया जायेगा । इसके अंतर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार सहायता प्रदान की गयी ।

1. डा. पुरूषोत्तम साहू रायपुर को "राजिम भक्तिन माता" पर शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

संस्कृति नीति 2001 के **बिन्दु कमांक 12** के अंतर्गत विशिष्ट सांस्कृतिक कियाकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार आयोजन किये गये/सहयोग प्रदान किया गया :

1. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ द्वारा श्रीकांत वर्मा पर केन्द्रित आयोजन क्रमश: भिलाई एवं बिलासपुर में माह सितम्बर 2001 में आयोजित किया गया ।

2. छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म के प्रचुर अवशेष सिरपुर, मल्हार तथा भोंगापाल में है । संग्रहालय में बुद्ध जयंती के अवसर पर नगर के प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित कर बुद्ध जयंती पर परिचर्चा मई 2001 में आयोजित की गई ।
3. लोक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय महत्व के स्थल भोरमदेव में सांस्कृतिक महत्व के आयोजन के लिए विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया गया ।

प्रस्तावित कार्यक्रम (मार्च 2002 तक)

1. राजभवन अंतः प्रांतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम (फरवरी एवं मार्च 2002)
2. राजीव लोचन महोत्सव 2002 राजिम (फरवरी 2002)
3. छत्तीसगढ़ साहित्य सम्मेलन (मार्च 2002)
4. भोरमदेव महोत्सव (मार्च 2002)

सांस्कृतिक परिसर की रूपरेखा –

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक विरासत – प्राकृतिक, शास्त्रीय तथा पुरातत्वीय महत्व के घटकों से परिपूर्ण है। इसके विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियां, नदियां, जनजातियां, बोलियां, अनेक प्रकार की परंपराएं, संस्कार तथा उल्लासमय पर्व, महत्वपूर्ण राजवंशों के काल में निर्मित पुरातत्वीय धरोहर, महागाथाओं के चरित्र नायकों की लोककथाएं और गाथा का सम्मिश्रण है, जिससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान प्रस्फुटित है । छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को चिन्हांकित करने का प्रयास स्वतंत्रता – पूर्व काल के मनीषियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था , ललित कलाओं के साथ–साथ लोक जीवन के पक्ष को प्रकाशित करने के लिए विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा आलेख तथा ग्रंथ प्रकाशित किये गये । आधुनिक विश्व में विज्ञान के नवीन खोज तथा अन्वेषण से अत्यंत तीव्र गति से ज्ञान,विज्ञान और परंपरागत मूल्यों पर आधारित जीवन शैली प्रभावित हो रही है तथा कुछ जगहों पर विनष्ट हो जाने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है ।

छत्तीसगढ़ राज्य की बहुलांश आबादी ग्राम तथा वनों के मध्य निवास करती है । अभी भी अधिकांश ग्रामीण नागरिक कृषिजीवी है । नगरी सभ्यता तथा मशीनीकरण के कारण धीरे–धीरे इनके पूर्व संचित पारंपरिक ज्ञान का ह्रास हो रहा है। इसलिये जनजातीय विविध कलाओं को स्वप्रेरित प्रदर्शन,संकलन एवं आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ बहुआयामी सांस्कृतिक परिसर की योजना है, जिसमें छायाचित्र, मॉडल, ग्रंथालय, फोटोसेक्शन , कम्प्यूटर आदि से शिल्प, नृत्य, संगीत, वाद्य, लोक देवी–देवता, वानस्पतिक औषधियां, बालकों में ज्ञान–विज्ञान को परिमार्जित करने तथा शोधार्थियों को सामग्री सहज में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी रहेगी इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002– 07 के अंतर्गत विचाराधीन है ।

छत्तीसगढ़ बहुआयामी सांस्कृतिक परिसर की स्थापना

छत्तीसगढ़ बहुआयामी परिसर राज्य के समस्त प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रदर्शन, संकलन, कार्यशाला आदि के प्रत्यक्ष आयोजन से संबंधित रूपरेखा है, अतः इसके विभिन्न कलाओं के प्रदर्शन, संकलन के लिए दीर्घाओं का संयोजन सुव्यवस्थित रूप से किया जाना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के लिए प्रेक्षागृह की भी आवश्यकता होगी । आधुनिक तकनीकी सामग्रियों के उपयोग एवं रखरखाव के लिए उपकरण कक्ष, छायाचित्रीकरण, कम्प्यूटर कक्ष आदि की आवश्यकता होगी । प्रदर्शन के

लिए गैलरियों की भी आवश्यकता होगी । सामान्य रूप से सांस्कृतिक परिसर में जनजातीय शिल्प कला से संबंधित तीन मुख्य गैलरियां होगी, जिनमें धातु, काष्ठ, चित्रकारी आदि प्रदर्शित किये जावेंगे । नृत्य शास्त्र से संबंधित दो कक्ष आवश्यक होंगे । पारंपरिक वनौषधि विज्ञान, आधुनिक ज्ञान–विज्ञान, ग्रंथालय आदि के लिए भी कक्ष आवश्यक होंगे ।

तदनुसार बहुआयामी सांस्कृतिक परिसर के लिए भूमि प्राप्त करने की पहल विभाग द्वारा की जा रही है ।

मुक्ताकाश संग्रहालय

छत्तीसगढ़ राज्य में "मुक्ताकाश संग्रहालय" की स्थापना, जिसका उद्देश्य प्रदर्शन के अलावा सतत प्रक्रिया में कार्यशाला के माध्यम से जनजातीय और लोक संस्कृति के आयामों पारंपरिक नृत्य संगीत, शिल्प आदि के सृजन तथा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आदि शामिल है । मुक्ताकाश संग्रहालय हेतु शासन से जमीन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है, किन्तु अभी भूमि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । वर्ष 2001–02 के बजट में मुक्ताकाश संग्रहालय हेतु 30.00 लाख रू. का आबंटन प्रदान किया गया है ।

11 वां वित्त आयोग

11 वें वित्त आयोग (2000–01 से 2004–05) के अंतर्गत विभाग को पुरातत्व संरक्षण एवं ग्रंथालय विकास योजना, दो योजनाएं स्वीकृत की गई है । इसके अंतर्गत पुरातत्व संरक्षण हेतु राज्य में फैली पुरातत्वीय महत्व की संपदा/स्मारकों को संरक्षित रखने एवं उनका संवर्धन करने की विस्तृत योजना है । इसके लिये वर्ष 2001–02 में रू. 52.40 लाख रू. का प्रावधान किया गया है । दूसरी योजना, ग्रंथालय विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2001–02 हेतु रू. 74.00 लाख का प्रावधान किया गया है । राज्य के सभी 16 जिलों में जिला पुस्तकालय के उन्नयन हेतु 3.20 करोड़ की योजना एवं पुरातत्व संरक्षण हेतु 2.61 करोड़ की योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है । एवं वित्त आयोग से राशि प्राप्त होते ही समस्त जिला ग्रंथालयों को आबंटन प्रदाय कर योजना का कार्य प्रारंभ किया जायेगा । इसके अंतर्गत जिला ग्रंथालयों को आधुनिक बना कर उन्हे राज्य स्तरीय ग्रंथालय एवं शोध केन्द्र से इंटरनेट द्वारा जोड़ना है । इसके अतिरिक्त महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर स्थित ग्रंथालय का उन्नयन कर इसे राज्य स्तरीय ग्रंथालय एवं शोध केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है, जो राज्य के समस्त 16 जिला ग्रंथालयों से जुड़ा रहेगा, इसके लिये 50 लाख रू. की योजना है ।

पुरातत्व, अभिलेखागार, राजभाषा एवं संस्कृति का संचालनालय

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में म. प्र. शासन से अलग–अलग प्राप्त पुरातत्व, संग्रहालय, अभिलेखागार एवं राजभाषा, संस्कृति को एक ही जगह स्थापित करने की दृष्टि से पुरातत्व, अभिलेखागार, राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय के नवीन सेट–अप को अंतिम रूप दिया जा रहा है । वर्ष 2001–2002 के दौरान पर्यटन को पृथक संचालनालय घोषित करने की वजह से संस्कृति विभाग से पृथक कर दिया गया । संचालनालय पुरातत्व एवं संस्कृति का प्रस्तावित सेट–अप संशोधित कर पुनः वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर स्वीकृति हेतु भेजा गया है ।